मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक 1677/10 /मा0अनु0(जोन–डी)मयंक/09 दिनांक 07 : 01 :2010.

मेरठ विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

तलपट मानचित्र सं0 **13/04** कालोनी का नाम .**यशोदा कुँज**, मवाना रोड मेरठ . ग्राम/वार्ड/योंजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित **खसरा सं0/भूखंड सं0 204, 205, 206(पार्ट), 207 (पार्ट), 208(पार्ट), 210.(पार्ट), 218, 222(पार्ट), 223(पार्ट), 224(पार्ट), 225, 226(पार्ट), व 227(पार्ट)** स्थित **ग्राम कसेरूबक्सर तथा ग्राम अम्हेड़ा आदिपुर के ख0सं0 511** पर विकसित योजना के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण श्री **यशपाल सिंह**, मुख्य नगर नियोजक, दिनांक **31.12.09** को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। निम्न शर्तो के अधीन :–

1– महायोजना मार्ग के क्रियान्वयन के समय स्थल पर बनायी गयी साईट बाउन्ड्री को कालोनाइजर द्वारा स्वयं स्थल से हटाया जायेगा।

2– स्थल पर ट्रंक सीवर डाले जाने की स्थिति में आन्तरिक सीवर को ट्रंक से जोड़ने का कार्य कालोनाइजर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

3– विकसित की गयी कालोनी को नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरण की समस्त जिम्मेदारी कालोनाइजर की होगी एवं नगर निगम को हस्तान्तरण किये जाने तक आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की जिम्मेदारी भी कालोनाइजर की होगी।

अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की धारा–15क (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षरः– [signature] 07.01.2010

पदनाम :– मुख्य नगर नियोजक

कार्यालय की मुहर (यशपाल सिंह)

दिनांकः– मुख्य नगर नियोजक

सचिव,

सचिव, मै0 इण्डस वैली प्रोमोटर्स द्वारा डॉयरेक्टर श्री अजय गुप्ता ने ग्राम कसेरू बक्सर के खसरा सं. 204, 205, 206, 207(पार्ट), 208(पार्ट), 210, 218(पार्ट), 222(पार्ट), 223(पार्ट), 224(पार्ट), 225, 226(पार्ट) व 227(पार्ट) तथा ग्राम अम्हैदा आदिपुर के खसरा सं. 511 पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु तलपट मानचित्र सं. 13/04 स्वीकृत कराया था, जिसपर प्रोमोटर द्वारा दिनांक 17.03.09 को पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। प्राधिकरण द्वारा जांचोपरान्त आवेदक को दिनांक 04.05.09 के द्वारा आपत्तियां सूचित की गई, जिस पर कालोनाईजर द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र एवं सूचित आपत्तियों का निराकरण करते हुए पत्र प्रेषित किया गया, जिसपर मेरे द्वारा सचिव, मुख्य नगर नियोजक एवं प्रभारी अधिकारी (मानचित्र) जोन-डी की एक समिति इस आशय से गठित की गई थी कि समिति पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। समिति द्वारा कतिपय आपत्तियों के साथ अपनी रिपोर्ट इस विशेष टिप्पणी के साथ प्रस्तुत की है कि 24 मी. मास्टर प्लान सड़क को बाउन्ड्रीवॉल बनाकर अवरुद्ध किया गया है, जो स्वीकृत मानचित्र में नहीं है, जिसे आवेदक को स्थल से हटाना होगा।

उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समिति के साथ दिनांक 11.12.09 को स्थल का निरीक्षण किया गया तथा स्थलीय स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

क्रम सं.	आपत्ति का बिन्दु	समिति की टिप्पणी	दिनांक 11.12.09 को स्थलीय स्थिति के अनुसार निर्णय
1	पार्क	स्थल पर लैण्डस्केप किया गया है, मेन्टेनेन्स ऑफिस के पार्क को डवलप किया जाना अवशेष है।	कालोनी में सभी पार्क विकसित कर पर्याप्त लैण्ड स्केप किया गया है। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
2	ओवर हैड टैंक	90,000 ली. का ओ.एच.टी. प्रस्तावित था, परन्तु जोनल पम्पिंग स्टेशन का प्राविधान किया गया है। क्षमता स्पष्ट नहीं है।	ओवर हैड टैंक के स्थान पर जोनल पम्पिंग स्टेशन का प्राविधान किया गया है, जिसकी क्षमता पर्याप्त है। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।

3	पानी की लाईन	140 एम.एम. का पाईप प्रस्तावित था, क्षमता स्पष्ट नहीं है।	पृष्ठ सं. 265 पर प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में पानी की लाईन का डाया स्पष्ट है। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
4	सीवर लाईन	250 एम.एम. का एन.पी.-2 पाईप प्रस्तावित था, क्षमता स्पष्ट नहीं है। स्थल पर ट्रंक लाईन नहीं है तथा महायोजना मार्ग के मध्य में सीवर लाईन डाली गई है।	पृष्ठ सं. 265 पर प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में सीवर लाईन का डाया स्पष्ट है। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
5	सीवर डिस्पोजल	सैप्टिक टैंक का प्राविधान किया गया है। सैप्टिक टैंक का पानी बिना ट्रीट किये नाले में डाला जा रहा है।	स्वीकृत तलपट मानचित्र में सीवर डिस्पोजल का कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं था। भविष्य में ट्रंक सीवर का प्राविधान होने पर उससे आन्तरिक सीवर को जोड़ने का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
6	रेन वॉटर हार्वेस्टिंग	प्राविधान किया गया है, किन्तु मानक के अनुसार नहीं है।	रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान भवन सं. 66 व 76 के मध्य स्थित पार्क में चैक किया गया, जो ठीक पाया गया। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
7	ड्रेन	ओपन ड्रेन का प्राविधान था भूमिगत नाली बनायी गई है। पाईप का डाया अंकित नहीं है।	पृष्ठ सं. 265 पर प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में ड्रेन का डाया स्पष्ट है। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
8	नाले व कल्वर्ट	प्राविधान किया गया है, किन्तु डाया अंकित नहीं है।	पृष्ठ सं. 265 पर प्रस्तुत संशोधित मानचित्र में नाले व कल्वर्ट का डाया स्पष्ट है। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
9	सड़के	बिटुमन पेन्ट तक का कार्य दो कोट पत्थर। महायोजना मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना अवशेष है।	आन्तरिक सड़कों का कार्य पूर्ण पाया गया तथा महायोजना मार्ग का सुदृढ़ीकरण का कार्य भी पूर्ण पाया गया। आपत्ति निक्षेपित की जाती है।
10	वृक्षारोपण	शासनादेश के अनुसार सड़कों के किनारे नहीं किया गया है।	वृक्षारोपण पर्याप्त मात्रा में किया गया है। सड़कों के किनारे वृक्ष अभी पूर्णता अंकुरित नहीं है। शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

11	कूड़ा प्रबन्धन	डस्टबिन की व्यवस्था नहीं की गई है।	वांछित स्थानों पर डस्टबिन का प्राविधान पाया गया।

समिति द्वारा विशेष टिप्पणी में यह अवगत कराया गया था कि 24मी. मास्टर प्लान सड़क को बाउन्ड्रीवॉल बनाकर अवरुद्ध किया गया है, जो स्वीकृत मानचित्र में नहीं है। स्थल पर मास्टर-प्लान रोड के जिस भाग का स्वामित्व कालोनाईजर के पक्ष में है, पर आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से बाउन्ड्रीवॉल बनाकर सुसज्जित किया गया है। महायोजना के प्राविधानों के अनुसार किसी भी महायोजना मार्ग को अवरुद्ध करने का कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति-विशेष को नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में यशोदा कुंज के डवलपर्स द्वारा यह शपथ-पत्र दिया गया है कि भविष्य में महायोजना-मार्ग के क्रियान्वयन किये जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई साईड-बाउन्ड्री को उनके द्वारा स्वंय से हटा लिया जायेगा। उक्त शर्त के साथ पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक/सचिव अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

1768/शा.पी.वी.
21/12/09

N Singh
उपाध्यक्ष
21.12.09

सचिव

C.T.P

वे महायोजना के प्रमाणों व टिप्पणी व टिप्पणी के पूर्व वार्ता भी करें।

21/12

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ